कैम्प कोर्ट ....माण्डल......

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल (भीलवाड़ा)

प्रकरण संख्या 489/16 प्रा0पत्र

अनवान

निमित्त–

तहसीलदार माण्डल / करेड़ा

विषय – पत्थर गढ़ी किये जाने बाबत्।

श्रीमती कमला प0श्री भैरूलाल बैरवा निवासी- कबराड़िया तहसील - माण्डल

v/s

श्रीमती कमला प0श्री गोपाल ब्राह्मण निवासी - कबराड़िया तहसील - माण्डल [करेड़ा]

(प्रबन्ध किराया पत्र संलग्न)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि.1956

आदेश

दिनांक 27.9.16

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक ..14.9.16....... को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कबराड़िया प.न.80 कबराड़िया............तहसील माण्डल/ करेड़ा में उसके खाते/ संयुक्त खातों की कृषि भूमि आराजी नं.1978/1129 में 04बीघा 05बिस्वा 2006 मे 4बीघा 10बिस्वा 1129 ......कुल किता03.. रकबा09... बीघा15.......बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें / संयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.9.16.......... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील माण्डल/ करेड़ा के वाके ग्राम उपरोक्त....... स्थित आराजी के खाते की कृषि भूमि आराजी ....उपरोक्त............ कुल किता ....उपरोक्त......... रकबा उपरोक्त............ बीघा उपरोक्त........... बिस्वा पर पत्थरगढ़ी व सामलात पक्षकारान करा देवें । मौके पर कब्जे की स्थिति यथावत बनी रखें । प्रार्थी भू0अ0 निरीक्षक आलमास ....कमिश्नर फीस राशि रूपये 500/-...... पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढ़ी फसल खड़ी होने पर नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डल

प्रतिलिपि – तहसीलदार माण्डल/ करेड़ा को भेजकर लेख है कि आवदेक की राशि जमा होने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डल